न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तः–

नीलकमल अग्रवाल पुत्र ओमनारायण उम्र 48 जाति अग्रवाल
निवासी– गांधी चौक, परबतसर तह. परबतसर जिला नागौर।
(विक्रेता एवं मालिक)
फर्मः–मैसर्स अग्रवाल मार्केटिग, गांधी चौक, परबतसर जिला नागौर।

प्रकरण संख्या : – 22 / 2021

" अर्न्तगत धारा 27 की उपधारा 3(क) एवं धारा–58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थितिः

प्रतिवादी नीलकमल अग्रवाल पुत्र ओमनारायण जाति अग्रवाल

–ःनिर्णय ः–

दिनांकः 22 जुलाई, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.09.2020 को समय 02:30 पी.एम. पर फर्म मैसर्स अग्रवाल मार्केटिग, गांधी चौक, परबतसर जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नीलकमल अग्रवाल पुत्र ओमनारायण उम्र 48 जाति अग्रवाल निवासी गांधी चौक, परबतसर तह. परबतसर जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी, तेल आदि विक्रेय हेतु रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदित रसीद प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ स्ंलग्न है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) की 500–500 ML वाली 20 बोतल एक लकड़ी की रैक में मूल ही सिल्ड अवस्था में आमजन को विक्रय वास्ते रखी हुई पाई थी जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) के 500–500 ML वाले 4 बॉतल मूल ही सिल्ड अवस्था में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 200/– (अक्षरे दो सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने के पश्चात रिफाईड सोयाबीन तेल (चबंल फ्रेश) की शेष बची 16 बोतलों (500 mlx16= 8 ltr) को अभिग्रहित कर प्रारूप नं.–2 में अभिग्रहण ज्ञापन व प्रारूप–3 में एक अभिग्रहण आदेश तैयार कर अभिग्रहित रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फेश) को फर्म मालिक नीलकमल अग्रवाल की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा, तथा प्रारूप–2 व 3 के मूल प्रतियों पर नीलकमल अग्रवाल के हस्ताक्षर करवायें, गवाहन व मैनें स्वंय ने किये, प्रारूप–2 व 3 की प्रतिया न्याय निर्णयान आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1336 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नीलकमल अग्रवाल पुत्र ओमनारायण एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने तथा अभिग्रहण की समस्त कार्यवाही का मौका फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 09.09.2020 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 09.09.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नमूना लेने के पश्चात शेष बची खाद्य सामग्री को अभिग्रहित करने की सूचना अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) नागौर को दी। सूचना पत्र जो कि न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है।

कार्यालय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से पत्रांक 446 दिनांक 17.09.2020 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने माह सितम्बर 2020 में प्राप्त नमूनों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 और रुल/रेग्यूलेशन 2011 के तहत इस प्रयोगशाला में प्राप्त खाद्य नमूनों की जांच 14 दिवस की अवधि में पूर्ण नही की जा सकती। प्रयोगशाला का एनएबीएल प्रमाणीकरण एवं प्रमाणीकरण करवाने हेतु आवेदन उपरांत अत्यावश्यक प्रक्रियाए संचालित करने के कारण व कार्यभार बढ जाने के कारण उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट नमूना प्राप्ति की दिनांक से 45 दिवस की अवधि पूरी की जा सकेगी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नमूना लेने के पश्चात शेष बची खाद्य सामग्री को अभिहित करने की सूचना अभिहित अधिकारी नागौर को दी। सूचना पत्र जो कि न्याय निर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) की जांच रिपोट संख्या LS/282/Act/2020/158 दिनांक 19.10.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नीलकमल अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) का नमूना Q–1336 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत '' The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before'' होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता नीलकमल अग्रवाल को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता नीलकमल अग्रवाल ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा '' The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before'' खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा '' The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before'' खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लंघन किया है जो धारा– 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 16.04.2021 को प्रतिवादी नीलकमल अग्रवाल ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 08.09.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(4) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 20.07.2021 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before'' खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 08.09.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

02:30 पी.एम. पर फर्म मैसर्स अग्रवाल मार्केटिंग, गांधी चौक, परबतसर जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति प्रतिवादी नीलकमल अग्रवाल पुत्र ओमनारायण उम्र 48 जाति अग्रवाल निवासी गांधी चौक, परबतसर तह. परबतसर जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन ऑन लाईन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहां रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) के 500–500 ML वाले 20 बोतल आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) के 500–500 ML वाले 20 बोतलों में से 4 बोतले मूल ही सील्ड बंद खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 200/–(अक्षरे दो सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1336 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नीलकमल अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः– मैसर्स अग्रवाल मार्केटिंग, गांधी चौक, परबतसर जिला नागौर, निवासी गांधी चौक, परबतसर तह. परबतसर जिला नागौर से खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.09.2020 को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 09.09.2020 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 09.09.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/282/Act/2020/158 दिनांक 19.10.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The Sample of Refined Soyabean Oil (Chambal Fresh brand) bearing Code No. and Sr. No. Q-1336 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur conforms to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 but **This smaple is not fully marketable as it is being sold after the date of best before.**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/282/Act/2020/158 दिनांक 19.10.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नीलकमल अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चंबल फ्रेश) का नमूना Q-1336 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहज जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) इस प्रकार है:-

धारा 27:- विनिर्माताओं, वितरको और विक्रेताओं का दायित्वः-

(3) विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए उतरदायी होगा, जोः-

(क) उसकें अवसान की तारीख के पश्चात विक्रीत किया जाता है; या

धारा 58:-

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के, किन्हीं भी उपबंधो का उल्लधंन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की ही सकेगी, दायी होगा।:-

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः- 513-14 दिनांक 19.11.2020 से प्रतिवादी को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईड सोयाबीन तेल (चबंल फ्रेश) Q-1336 "The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before" है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है इस प्रकार "The Sample is not fully marketable as it sold after date of best before" खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्मः- मैसर्स अग्रवाल मार्केटिंग, गांधी चौक, परबतसर जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-58 के तहत प्रतिवादी नीलकमल अग्रवाल पुत्र ओमनारायण जाति अग्रवाल निवासी गांधी चौक, परबतसर तह. परबतसर जिला नागौर फर्मः- मैसर्स अग्रवाल मार्केटिंग, गांधी चौक, परबतसर जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/-(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 22.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

22.7.2021

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवान